भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *268

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

असुरक्षित सड़कों के लिए उत्तरदायित्व

*268 प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क के अंतर्गत सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव तथा अन्य मामलों के संबंध में मानकों को विहित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उपबंध के लागू होने के बाद से इसके अधीन दर्ज की गई शिकायतों, चलाए गए अभियोजनों, दोषसिद्धियों और अधिरोपित शास्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) धारा 164ख के अंतर्गत शास्तियों के रूप में वसूल की गई तथा मोटर यान दुर्घटना निधि में जमा की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में धारा 198क के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'असुरक्षित सड़कों के लिए उत्तरदायित्व' के संबंध में प्रो. मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *268 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 25.09.2020 के माध्यम से मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क और 210ग के अधीन केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 166 बनाया है।

नियम 166 में निम्नानुसार कहा गया है:

"166. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानक.–

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों का डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्देशों, जैसा भी लागू हो, के अनुसार होगा या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य निर्देश या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों का डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्देशों, जैसा भी लागू हो, के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन, उप-नियम (1) या (2) के तहत जारी किए गए लागू मानकों, विशिष्टताओं, निर्देशों और दिशा-निर्देशों से विचलन स्थानीय परिस्थितियों के कारण किया जा सकता है, जिसमें निर्माण स्थल (साइट) संबंधी बाधाएं या निर्मित क्षेत्र या भूमि अधिग्रहण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और उक्त स्वीकृति की एक प्रति संबंधित अनुबंध के भाग के रूप में संलग्न की जाएगी।

(4) अनुबंध में नामित प्राधिकारी, परामर्शदाता और रियायतग्राही शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिता (कोड) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निष्पादन एजेंसियों द्वारा साइट पर कार्यों की दैनिक निगरानी के लिए परामर्शदाताओं (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता-एई/आईई) की नियुक्ति की जाती है। निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित

आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच के लिए तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों (पुलों और फ्लाईओवरों सहित) पर ठेकेदारों की लापरवाही सहित विभिन्न कारणों से हुई बड़ी विफलताओं या बड़े संरचनात्मक नुकसानों से संबंधित परियोजनाओं का ब्योरा ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/एई/आईई आदि के विरूद्ध लगाए गए जुर्माने और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है। कमियों/नुकसानों की स्थिति में चूक करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जैसे अनुबंध रद्द करना, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क के तहत सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों का अनुपालन करने में चूक की स्थिति में इसका निपटान/ प्रबंधन सड़क परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव को नियंत्रित करने वाले संविदागत ढांचे के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत धारा 198क में संशोधन किया गया था, जिसमें निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता होने पर एक लाख रुपये तक के मौजूदा जुर्माने को पचास लाख रुपये तक के जुर्माने से बदल दिया गया था, यह जुर्माना राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में धारा 164ख के तहत गठित कोष में और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों के मामले में निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को देय होगा।

सरकार ने दिनांक 24.07.2026 के का.आ. 4100(अ) के माध्यम से उपरोक्त संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 15.08.2026 से प्रभावी होंगे।

अनुलग्नक

'असुरक्षित सड़कों के लिए उत्तरदायित्व' के संबंध में प्रो. मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *268 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों (पुलों और फ्लाईओवरों सहित) पर ठेकेदारों की लापरवाही सहित विभिन्न कारणों से हुई बड़ी विफलताओं या बड़े संरचनात्मक नुकसानों से संबंधित परियोजनाओं का ब्योरा ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/एई/आईई आदि के विरूद्ध लगाए गए जुर्माने और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
आंध्र प्रदेश	2021	1	आईई पर 40.00 लाख रुपये ठेकेदार पर 3.0 करोड़ रुपये	
अरुणाचल प्रदेश	2024	1	ठेकेदार पर अनुबंध मूल्य का 5%	
बिहार	2020	1		ठेकेदार पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया।
	2022	2		ठेकेदार के प्रमुख कर्मी और एई/आईई को निलंबित किया गया।
	2023	2	ठेकेदार पर 25 करोड़ रुपये	ठेकेदार के प्रमुख कर्मी और एई/आईई को निलंबित किया गया।
	2024	1		ठेकेदार के प्रमुख कर्मी को निलंबित किया गया
हिमाचल प्रदेश	2022	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
गुजरात	2020	1		ठेकेदार पर 2 वर्ष का प्रतिबंध (डीबार) लगाया गया।
हरियाणा	2020	1	ठेकेदार पर 3.00 करोड़ रुपये	आईई के टीम लीडर को प्रतिबंधित किया गया। मरम्मत का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
	2021	1	ठेकेदार पर 6.67 करोड़ रुपये और एई पर 20 लाख रुपये	ठेकेदार और एई को 3 माह के लिए कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला गया।
	2024	2	ठेकेदारों पर कुल 90 लाख रुपये	किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
जम्मू और कश्मीर	2022	1	ईपीसी ठेकेदार पर	ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
			परियोजना लागत का 1%	
गुजरात	2025	1	ठेकेदार पर 2.80 करोड़ रुपये	
कर्नाटक	2024	1		ठेकेदार को 1 माह के लिए डीबार किया गया
	2025	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
केरल	2020	1	ठेकेदार पर 1.00 करोड़ रुपये, एई पर 20 लाख रुपये	ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक, टीम लीडर और पुल अभियंता को परियोजना से बर्खास्त किया गया
	2024	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
	2025	7	ठेकेदारों पर कुल 31.245 करोड़ रुपये और आईई पर 5 लाख रुपये	एक परियोजना में ठेकेदार के प्रमुख कर्मी और एई/आईई निलंबित किया गया। 2 परियोजनाओं में ठेकेदार और एई/आईई को प्रतिबंधित किया गया
मध्य प्रदेश	2025	2	ठेकेदार पर 119 करोड़ रुपये	
महाराष्ट्र	2020	1	एक परियोजना में ठेकेदार पर 41.32 करोड़ रुपये	
	2021	1		ठेकेदार पर 9 माह का प्रतिबंध
	2024	4	ठेकेदारों पर कुल 3.94 करोड़ रुपये एई पर 20 लाख रुपये	ठेकेदार के प्रमुख कर्मी और एई को 2 परियोजनाओं में निलंबित किया गया
	2026	2	ठेकेदार पर 75 लाख रुपये और एई पर 12.50 लाख रुपये	
तेलंगाना	2022	1	ठेकेदार पर 134.78 करोड़ रुपये	
तमिलनाडु	2021	1	ठेकेदार पर 3.0 करोड़ रुपये	
	2023	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
	2025	1	ठेकेदारों पर 7.21 करोड़ रुपये और आई पर 5 लाख रुपये	
उत्तर प्रदेश	2026	5		परियोजना सं. 1 में ठेकेदार का अनुबंध समाप्त किया गया; 1 परियोजना के लिए ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक (प्रोजेक्ट मैनेजर) और एई के टीम लीडर; आईई को टीएल और आरई तथा ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक (रखरखाव) को 1 परियोजना हेतु 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया।
उत्तराखंड	2023	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
पश्चिम बंगाल	2024	2	ठेकेदारों पर 4.19 करोड़ रुपये और एई/आईई पर 5 लाख रुपये।	
	2026	1		टोल सेवा निलंबित कर दी गई है, आईई और रियायतग्राही के प्रमुख कर्मी को निलंबित किया गया
ओडिशा	2022	1		एई/आईई और ठेकेदार के प्रमुख कर्मी को निलंबित रखा गया
	2023	1	ठेकेदार पर 5.30 करोड़ रुपये और आईई पर 25 लाख रुपये	डीपीआर परामर्शदाता पर 1 वर्ष का प्रतिबंध
असम	2024	1		ठेकेदार को 4 माह के लिए प्रतिबंधित किया गया
मेघालय	2025	1	ठेकेदार पर 20 लाख रुपये	
दिल्ली	2023	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया गया।
